प्राक्कथन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(I) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें निगम कर, आयकर, धनकर, दानकर आदि शामिल हैं और इसे निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया गया है: -

(i) अध्याय I में प्रत्यक्षकरों की लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्थाओं पर सूचना शामिल है और इसके परिणामों का उल्लेख किया गया है;

(ii) अध्याय II में कर प्रशासन पर महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय सूचना समाविष्ट की गयी है;

(iii) अध्याय III में निगम कर के निर्धारणों की नमूना जांच से उद्भूत मुद्दों का उल्लेख किया गया है;

(iv) अध्याय IV आयकर निर्धारणों की नमूना जांच के परिणामों से सम्बन्धित है;

(v) अध्याय V में धनकर और ब्याजकर के निर्धारणों की नमूना जांच के परिणामों का उल्लेख किया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गयी अभ्युक्तियों का 2005-06 के दौरान और उन पूर्ववर्ती वर्षों में की गयी नमूना जांच के निष्कर्षों से चयन किया गया है जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में कवर नहीं किया जा सका।